

गोरखपुर

पत्रांक 359/354 एस०

दिनांक : 24-7-24

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार भवन निर्माण का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पृष्ठांकन सं०-शून्य दिनांक 08.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिल्वर लाईन एकेडमी, ग्राम-अमवां, पोस्ट-झुंगिया बाजार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर का चेक लिस्ट, भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-चेक लिस्ट, भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र
मूल में।

ST.

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

दिनांक :

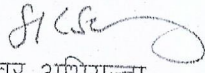
प्रतिलिपि:-प्रबन्धक, सिल्वर लाईन एकेडमी, ग्राम-अमवां, पोस्ट-झुंगिया बाजार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर

प्रमाण-पत्र

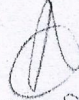
मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर का पृष्ठांकन सं०-शून्य दिनांक 08.07.2024 द्वारा प्रबन्धक, सिल्वर लाईन एकेडमी, ग्राम-अमवां, पोस्ट-झुंगिया बाजार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के आवेदन पर दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रबन्धक, सिल्वर लाईन एकेडमी, ग्राम-अमवां, पोस्ट-झुंगिया बाजार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के नाम से विद्यालय परिसर का सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। आर्किटेक्ट ई० शशांक चौधरी, 27 राधिका काम्पलेक्स, निकट जीमीनी एपार्टमेन्ट, असुरन चौराहा, मेडिकल कालेज रोड, जनपद-गोरखपुर द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के आधार पर संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया उपरोक्त स्कूल का भवन भूकम्परोधी एवं नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार है।

संलग्नक:- चेक लिस्ट एवं प्रमाण-पत्र।



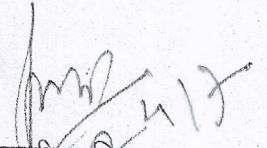
अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (एन0बी0सी0) अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट।

क्र0स0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी0) है।	नहीं
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है।	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैक में पार्किंग है।	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई 12.00 मी0 है।	हाँ
9.	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।	नहीं हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों / छतों में कैंक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.8 मी (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है ?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी0 एवं ऊँचाई 4.50 मी0 है ?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00 मी ऊँचाई 2.0 मी0) है ?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18.	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500.00 मिमी0 तथा राइजर 150.00 मिमी0 है ?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रीकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशामक यंत्र हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22.	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स, (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गोरखपुर